राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 8 दिसम्बर, 1988

क्रमांक 1242-ज(II)-88/44399.--श्री धारी राम, पुत्र श्री जवाहर, निवासी गांव बरसाना, तहसील दादरी, जिला भिवानी, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 15727-जे०-एन०-III-66/18590, दिनांक 9 सितम्बर, 1966, द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री धारी राम की दिनांक 20 अप्रैल, 1988, को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री धारी राम की विधवा श्रीमती राम देई के नाम खरीफ, 1988 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 1243-ज-(2)-88/44403.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती चिमा विधवा, श्री रामजस, गांव मोरका, तहसील भिवानी, जिला भिवानी, को खरीफ, 1964 से रबी, 1970 तक 100 रु०, खरीफ 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रु० वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रु० वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार जागीर सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1361-ज(II)-88/44407.—श्री निहाला राम, पुत्र श्री अमर सिंह निवासी, गांव सकना सिरसा खेड़ी, तहसील जीन्द, जिला जीन्द, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4359-र-III-67/3276, दिनांक 16 सितम्बर, 1967, द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री निहाला राम की दिनांक 16 नवम्बर, 1986, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री निहाला राम की विधवा श्रीमती धनकौर के नाम खरीफ, 1987 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 1287-ज-2-88/44416.—श्री ध्योचन्द, पुत्र श्री अमीलाल, निवासी गांव टाडाहेड़ी, तहसील बहादुरगढ़, जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 148-ज-(II)-82/1002, दिनांक 23 मार्च, 1982, द्वारा 300 रुपए वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री ध्योचन्द की दिनांक 12 दिसम्बर, 1986, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा की उसे हरियाणा राज्य मे अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियो का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री ध्योचन्द की विधवा श्रीमती भरती के नाम खरीफ, 1987 से 300 रुपए वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते है।

क्रमांक 1285-ज(II)-88/44422.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (ए) तथा 3(ए) के अनुसार

सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती धपली देवी, विधवा श्री राम रख, गांव कोसली, तहसील कोसली, जिला रोहतक, को रबी, 1980 से 300 रुपए वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक 1372-ज-II-88/44426.—श्री हरनारायण, पुत्र श्री जय चन्द, निवासी गांव बलाली, तहसील दादरी जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2300-ज-I-80/478, दिनांक 5 जनवरी, 1981, द्वारा 350 रुपए वार्षिक की दर से मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री हरनारायण की दिनांक 21 जून, 1986, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री हरनारायण की विधवा श्रीमती सुन्दरी देवी के नाम रबी, 1987 से 350 रुपए वार्षिक की दर से सनद मे दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

दिनांक 14 दिसम्बर, 1988

क्रमांक 1317-ज(I)-88/45180.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2 (ए) (ए) तथा 3 (ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री गुरनाम सिंह, पुत्र चानन सिंह, गांव हडवोन, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, को रबी, 1977 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है ।

क्रमांक 1241-ज(2)-88/45184.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2 (ए) (ए) तथा 3 (ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती मिसरी देवी, विधवा श्री राम पत, गांव खण्डोज, तहसील बावल, जिला महेन्द्रगढ़, को रबी, 1969 से रबी, 1970 तक 100 रुपये, खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है ।

क्रमांक 1366-ज(II)-88/45188.—श्री प्यारे लाल, पुत्र श्री हरनाम सिंह, निवासी गांव गवालीसन, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 296-ज-II-84/8708, दिनांक 26 मार्च, 1984 द्वारा 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री प्यारे लाल की दिनांक 7 अगस्त, 1988 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री प्यारे लाल की विधवा श्रीमती छन्नो के नाम खरीफ, 1988 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

क्रमांक 1299-ज(2)-88/45193.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री भरत सिंह, पुत्र श्री लाल चन्द, गांव डीघल, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, को खरीफ, 1976 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक 1360-ज(II)-88/45253.—श्री रतन सिंह, पुत्र श्री गोरधन, निवासी गांव करेला, तहसील जीन्द, जिला जीन्द, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की

अधिसूचना क्रमांक 446-ज-II-80/22244, दिनांक 1 जुलाई, 1988, द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब, श्री रतन सिंह की दिनांक 26 मार्च, 1988, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री रतन सिंह की विधवा श्रीमती जीवनी के नाम खरीफ, 1988 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

क्रमांक 1389-ज-II-88/45265.—श्री श्री राम, पुत्र श्री राम शरण, निवासी गांव झोझु खुर्द, तहसील दादरी, जिला भिवानी, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1793-ज-I-80/38820, दिनांक 3 नवम्बर, 1980, द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब, श्री श्री राम की दिनांक 14 अगस्त, 1988, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री श्री राम की विधवा श्रीमती सरती देवी के नाम खरीफ, 1988 से 300 रुपये वार्षिक दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते है ।

दिनांक 15 दिसम्बर, 1988

क्रमांक 1368-ज-(2)-88/45275.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (ए) तथा 3(ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सही राम, पुत्र श्री परस राम, गांव चांग रोड़, तहसील दादरी, जिला भिवानी, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक 1342-ज(2)-88/45279.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री भल्ला सिंह, पुत्र श्री जेठा सिंह, गांव नसडोली, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, को खरीफ, 1976 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

राज कुमार अरोड़ा,
अवर सचिव, लेखा तथा जागीर,
हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग ।

EDUCATION DEPARTMENT

The 8th December, 1988

No. 3/29/86-Edu.II(2).—The Governor of Haryana is pleased to setup an independent Directorate of Primary Education out of the Directorate of School Education with immediate effect. The name of the Directorate of School Education will now be termed as Directorate of Secondary Education. The Heads of these Directorates will be designated as under:—

(1) Director of Primary Education Department,

(2) Director of Secondary Education Department

for all intents and purposes.

KIRAN AGGARWAL,
Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Education Department.